तारीख हुकम		नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
13.02.2023	यह आवेदन प्रार्थीगण अजबाराम व अन्य की ओर अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रार्थीगण स्वयं को सुना गया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मौजा ठावों की ढाणी पटवार क्षेत्र कादानाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2026–2079 के खाता संख्या 12 व 28 के राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुई कि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम सवाराम के स्थान पर भूलवंश से सुखाराम दर्ज कर दिया गया है। जबकि प्रार्थीगण के पिता का सही नाम सवाराम है।राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति हो रही है, जिसका प्रार्थीगण दोषी नहीं है। पत्रावली के सलंग्न सरकारी दस्तावेजात यथा–,आधार कार्ड प्रति, वोटरकार्ड प्रति, परिवार राशन कार्ड, बैंक पासबुक तथा मृत्यु प्रमाण इत्यादि में प्रार्थीगण के पिता का नाम सवाराम अंकित है, एवं विवादित भूमि के सहखातेदार भाईयों मे से किसी को भी कोई उजर–ऐतराज नहीं है तथा प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार करने में पक्षकारान की पूर्ण सहमति है साथ ही तहसीलदार सिणधरी द्वारा भी प्रार्थीगण की इस्तदुआ अनुरूप नाम दुरूस्तीकरण में सहमति एवं सिफारिश के रिपोर्ट पेश की है। उपरोक्त विवेचन से साबित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है जबकि प्रार्थीगण के पिता का वास्तविक नाम सवाराम है जो कि दुरूस्त करने के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए नाम दुरूस्ती हेतु पृथक से आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार सिणधरी माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2023.02.17 15:07:21 IST
Reason: SelfAttested